इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स का मासिक न्यूज़लेटर प्रति वर्ष 40/रुपये
(आईएसओ 9001 : 2008 प्रमाणित संगठन)

आईआईबीएफ विज़न

व्यावसायिक उत्कृष्टता
के प्रति प्रतिबद्ध

खंड सं. : 4 अंक सं. : 7 फरवरी 2012

संस्थान (इंस्टिट्यूट) का ध्येय (मिशन) "प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श / सलाह और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से व्यावसायिक रूप से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना है।"

विषय-सूची

मौद्रिक नीति ----------1
मुख्य घटनाएं---------- 2
बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां----------2
बैंकिंग जगत की घटनाएं----------3
विनियामकों के कथन ----------5
विदेशी मुद्रा ----------6
बीमा ---------- ----------6
नयी नियुक्तियां----------6
उत्पाद एवं गंठजोड----------6
अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक---------- 7
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारीं ----------7
शब्दावली ----------7
संस्थान की गतिविधियां ----------7
संस्थान समाचार----------8
बाज़ार की खबरें----------8

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना / समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों / मीडिया में प्रकाशित हो चुकी / चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की / किए जा रही / रहे हैं। उक्त सूचना / समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित / उल्लिखित घटनाएं सम्बन्धित स्रोत द्वारा यथा अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स समाचार मदों / घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सूचना की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी प्रकार से न तो उत्तरदायी है न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

मौद्रिक नीति की 3री तिमाही समीक्षा - 24 जनवरी, 2012

- अनुसूचित बैंकों के आरक्षित नकदी निधि अनुपात (CRR) को उनकी निवल मांग एवं सावधि देयताओं (NDTL) के 6.0 % से 50 आधार अंक घटा कर 5.5% किया गया। यह 28 जनवरी, 2012 को आरंभ होने वाले पखवाड़े से प्रभावी होगा।
- आरक्षित नकदी निधि अनुपात में इस कमी से प्रणाली में प्राथमिक चलनिधि में लगभग 3.20 बिलियन रुपये की वृद्धि होगी।
- नीतिगत ब्याज दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तदनुसार, चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF) के तहत पुनर्खरीद (रेपो) दर 8.5% पर कायम है।
- चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF) के तहत पुनर्खरीद दर से 100 आधार अंक कम के स्तर पर निर्धारित प्रति-पुनर्खरीद (revrse repò) दर,7.5% पर और पुनर्खरीद दर से 100 आधार अंक अधिक के स्तर पर निर्धारित सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) दर 9.5% पर कायम रहेगी।
- चलनिधि प्रबन्धन इस वर्ष भारतीय रिज़र्व बैंक के लिए एक बड़ी चुनौती रही है। चलनिधि की स्थितियां, जो सामान्य रूप से घाटे में रहीं, नवम्बर, 2011 के दूसरे सप्ताह के प्रारंभ में भारतीय रिज़र्व बैंक के विदेशी मुद्रा बाज़ार के परिचालनों और दिसम्बर के मध्य में अग्रिम कर बहिर्वाहों का निरूपण करते हुए अधिक कठिन हो गईं। रिकार्ड के तौर पर भारतीय रिज़र्व बैंक के यह कहे जाने पर कि वह चलनिधि समायोजन सुविधा पटल को निवल मांग एवं सावधि देयताओं के 1% से अधिक / कम वाली श्रेणी, जो लगभग 600 बिलियन रुपये होता है, के स्तर वाले संतुलित घाटे में रखना चाहता है। लगभग 1,200 बिलियन रुपये पर चलनिधि समायोजन सुविधा तक पहुंच के वर्तमान स्तर इस पट्टी से काफी अधिक हैं। चलनिधि कीं कठोरता में कमी लाने के लिए तथा अपनी मौद्रिक नीति के दृष्टिकोण के अनुरूप भारतीय रिज़र्व बैंक ने नवम्बर 2011 - जनवरी 2012 के मध्य तक की अवधि में 700 बिलियन रुपये से अधिक के खुले बाजार के परिचालन (OMOs) आयोजित किए।
- जहां वर्तमान वर्ष के दौरान व्यापक मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि 15.5 के अनुमानित प्रक्षेप वक्र के आस-पास रही, वहीं खाद्येतर ऋण वृद्धि अब 18% के निर्देशक प्रक्षेप वक्र से कम रह गई है।
    - सरकार के बढ़े हुए उधार तथा निजी ऋण की मांग में मंदी को देखते हुए वर्ष 2011-12 के लिए एम3 की वृद्धि के अनुमान को 15.5% पर कायम रखा गया है, जबकि खाद्येतर ऋण वृद्धि घटा कर 16.0% कर दी गई है। हमेशा की तरह ये संख्याएं निर्देशात्मक अनुमान हैं, लक्ष्य नहीं।

मुख्य घटनाएं

खाता संख्याएं बदले बिना बैंक बदलना

ग्राहकों को शीघ्र ही खाता संख्याएं बदले बिना बैंक बदलने की अनुमति होगी, इसप्रकार, बैंक खाते खोले / बंद करने अथवा किसी कारणवश कई एक खाते रखने की असुविधा समाप्त हो जाएगी। इस दिशा में एक कदम के रूप में सभी बैंकों को साझे अपने ग्राहक को जानिए (KYC) मानदंड अपनाने के लिए कहा जाएगा। बैंक खाता संख्या की वहनीयता से मूल शाखा को केवल एक आवेदन लिख कर खातों को परिवर्तित करने की सुविधा प्रदान करेगी। बैंकों को प्रौद्योगिकी के मोर्चे पर बहुत सी तैयारियां करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि (एटीएमों जैसी) कुछेक सेवाएं पहले से ही एकीकृत हैं तथा अधिकांश बैंक पूर्णत: कोर बैंकिंग समाधान-समर्थित हैं।

सौर एटीएम ग्रामीण क्षेत्रों में पैठ बढ़ाने में बैंकों की सहायता करते हैं

बैंकों द्वारा अधिक शाखाएं खोल कर ग्रामीण क्षेत्रों में जोरदार फैलाव का लक्ष्य रखे जाने के परिणामस्वरूप सौर एटीएमों की मांग में वृद्धि आसन्न है। सामान्यतया बैंकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी सेवाएं विस्तारित करने में उच्च परिचालन लागतें सबसे बड़ी रुकावट होती हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि 6 लाख से भी अधिक गांवों में फैली कुल 70,000 शाखाओं में से लगभग 15,000 शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, सौर ऊर्जा-आधारित ग्रामीण एटीएम इस स्थिति को विपरीत क्रम में लाने में जादुई गोली का काम कर सकते हैं। वोर्टेक्स के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री वी. विजय बाबू का कहना है कि "ग्रिड-रहित क्षेत्रों में सौर ऊर्जा-आधारित एटीएम को किसी खाताधारक के मानवीय अंतरापृष्ठ के बिना नकदी वितरण और प्राप्ति जैसे मूलभूत बैंकिंग कार्य करने वाले समग्र बैंकिंग कियॉस्कों के रूप में तैयार किया जा सकता है। इसमें पिन संख्या को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जीवसांख्यिकीय प्राधिकरण आपके खाते तक त्वरित पहुंच की सुविधा प्रदान करता है। हमारे पास एक ऐसा अंत: क्रियाशील वॉयस-ओवर है, जो प्रयोक्ताओं को डेबिट कार्ड किस प्रकार प्रविष्ट किया जाना है तथा नकदी आहरित करने के लिए सही विकल्प के चयन से सम्बन्धित अनुदेश देता है। इसके अलावा हम धोखाधड़ियों को रोकने के लिए प्रौद्योगिकी को भी बढ़ा रहे हैं।"

बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में एकल व्यक्ति शाखाएं परिचालित करेंगे

वित्त मंत्रालय नेट-समर्थित लैपटॉप का उपयोग करते हुए गांवों में मूलभूत सेवाएं प्रदान करने वाले बैंक प्रतिनिधि को एक "शाखा" मानेगा, इसप्रकार सरकार की वित्तीय समावेशन योजना के प्रसार-क्षेत्र को व्यापकता प्राप्त होगी तथा मूलभूत सुविधा पर खर्च करने की जरूरत को समाप्त किया जा सकता है । सरकार ने 73,000 उद्दिष्ट गांवों को 31 मार्च, 2012 तक मूलभूत बैंकिंग सुविधाएं प्रदान किए जाने के अपने लक्ष्य को पूरा कर लेने का ध्येय नियत कर रखा है। इसके साथ ही वह वित्तीय समावेशन की लागत को न्यूनीकृत करना तथा यह सुनिश्चित करना चाहती है कि लागत कारबार में वृद्धि से सम्बन्धित हो। उक्त प्रतिनिधि अथवा "कारबार संपर्की" (BC) 'अतिशय छोटी शाखा' से कार्य करेगा तथा वह सभी नकदी लेनदेनों और उस क्षेत्र के अन्य नेमी कार्यों को संभालेगा। बैंक का एक

अधिकारी उक्त शाखा में सप्ताह में एक दिन आएगा और कारबार संपर्की को उस छोटी शाखा और बैंक के बीच एक सुरक्षित नेटवर्क-समर्थित डाटा अभिगम एवं अंतरण के माध्यम से बैंक के कोर बैंकिंग समाधान (CBS) से जोड़ेगा। उक्त अधिकारी नये खाते खोलने, ऋणों से सम्बन्धित आवेदनों, वसूली अनुवर्तन तथा कारबार विकास से सम्बन्धित मामलों को स्थल पर ही निपटा देगा। अब बैंकों को एक ऐसी कारबार योजना तैयार करनी होगी जिसके माध्यम से शाखा अधिकतम दो वर्षों की अवधि के भीतर लाभ अर्जित करेगी।

बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां

भारतीय रिज़र्व बैंक ने विदेशी उधार से सम्बन्धित दिशानिर्देश शिथिल किए

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों में आस्ति-देयता बेमेल को रोकने के लिए औसत परिपक्वता को संशोधित करते हुए विदेशी उधारों के मानदंडों को शिथिल कर दिया है। किसी एक वर्ष में 20 मिलियन अमरीकी डालर तक के बाह्य वाणिज्यिक उधारों (ECBs) के लिए अब 3 वर्ष की न्यूनतम औसत परिपक्वता अवधि आवश्यक होगी। 20 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक और 750 मिलियन अमरीकी डालर तक के बाह्य वाणिज्यिक उधारों के लिए न्यूनतम 5 वर्ष की परिपक्वता अवधि आवश्यक होगी। वर्तमान में कम्पनियां 750 मिलियन अमरीकी डालर के विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉण्ड (FCCBs) भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बिना जारी कर सकती हैं। होटलों, अस्पतालों और सॉफ्टवेयर फर्मों सहित सेवा क्षेत्र की कम्पनियां एक वित्तीय वर्ष में 200 मिलियन अमरीकी डालर तक के विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉण्ड (FCCBs) जारी कर सकती हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बाात पर बल दिया है कि बाह्य वाणिज्यिक उधारों से प्राप्त होने वाली राशियों का उपयोग भूमि अभिग्रहण के लिए नहीं किया जा सकता। इसके अलावा, मौजूदा बाह्य वाणिज्यिक उधार / विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉण्ड (FCCB) का पुनर्वित्तीयन करने के लिए प्राप्त किए गए बाह्य वाणिज्यिक उधार / विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉण्ड को वर्तमान मानदंडों के अनुसार स्वत: मार्ग के अधीन उपलब्ध 750 मिलियन अमरीकी डालर की सीमा के एक भाग के रूप में परिकलित किया जएगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों से निधि अंतरण रसीदें जारी करने के लिए कहा

कुछेक बैंकों द्वारा राष्ट्रीय इलेक्ट्रनिक निधि अंतरण (NEFT) प्रणाली के माध्यम से किए जाने वाले भुगतानों की पुष्टि भेजने से सम्बन्धित नियमों के अननुपालन को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने ऋणदाताओं को इस प्रकार की रसीदें जारी किए जाने हेतु प्रणाली लागू करने का निदेश दिया है। जहां उसने यह स्वीकार किया कि इस प्रकार के पुष्टि संदेश लाभार्थी के खाते में रकम जमा किए जाने के तुरंत बाद भेजे जाते हैं, तथापि इसे किसी भी परिस्थिति में दिवसांत के आगे नहीं जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों से उनकी योजना की प्रति 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत करने के लिए भी कहा है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों के मूल्य-दायरे में संशोधन की अनुमति दी

भारतीय रिज़र्व बैंक ने उन सरकारी प्रतिभूतियों (G-secs) के मूल्य-दायरे की सीमाएं शिथिल करने की अनुमति दे दी है, जिनका क्रय-विक्रय हुआ है। इसके अनुसरण में निर्धारित आय मुद्रा बाज़ार और व्युत्पन्न (डेरिवेटिव्ज) संघ ने मूल्य-दायरे को संशोधित कर दिया है, जिसके द्वारा वर्ष के पहले व्यापार-दिवस को किए गए 5,000 करोड़ रुपये के सौदों का विपर्यय रुक गया है। इस उम्मीद के आधार पर कि भारतीय रिज़र्व बैंक अपेक्षा से पहले दर में कटौती कर सकता है, बॉण्डों के मूल्य में हुई बढ़ोत्तरी के परिणामस्वरूप मूल्य-दायरे का उल्लंघन हो गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक की तयशुदा लेनदेन प्रणाली आदेश मिलान (NDS-OM) प्लेटफार्म से सम्बन्धित आचरण संहिता के अनुसार किसी निरुद्ध प्रतिभूति की बोलियों और प्रस्ताव की अनुमत मूल्य-श्रेणी उसकें पूर्ववर्ती समापन स्तर के 1% के भीतर है। किसी निरुद्ध प्रतिभूति के मामले में यह सीमा उसके पूर्ववर्ती समापन स्तर का 1.25% है। इसे किसी बड़ी संख्या वाली गलती को रोकने के लिए अक्तूबर 2011 में लागू किया गया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बासेल - III के सम्बन्ध में दिशानिर्देशों का मसौदा जारी किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह प्रस्तावित किया है कि भारत के बैंक 9% के न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता अनुपात (CAR) के अलावा उनकी जोखिम-भारित आस्तियों के 2.5% की दर पर साझी इक्विटी के रूप में पूंजी उपभोग का सुरक्षित भण्डार बनाएं। दूसरे शब्दों में, बैंकों का न्यूनतम पूंजी अनुपात 11.5% होना चाहिए। बासेल -III पूंजी विनियमन के सम्बन्ध में दिशानिर्देशों के मसौदे में भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह सुझाव दिया है कि टियर-I पूंजी में साझी इक्विटी जोखिम-भारित आस्तयों की 5.5% होनी चाहिए। उसने यह भी प्रस्तावित किया है कि न्यूनतम टियर -I पूंजी पर्याप्तता 6% से बढ़ा कर 7% कर दी जाए। बैंकिंग विनियामक का ध्येय 1 जनवरी, 2013 से न्यूनतम पूंजी अपेक्षा को कार्यान्वित करना और साझी इक्विटी से कटौतियां करना तथा सम्पूर्ण कार्यान्वयन को 31 मार्च 2017 तक पूरा करना है। पूंजी उपभोग के सुरक्षित भण्डार से सम्बन्धित आवश्यकता को 31 मार्च 2014 और 31 मार्च 2017 के बीच कार्यान्वित किया जाना अपेक्षित है। भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार यदि टियर -I पूंजी में प्रमुख

रूप से साझी इक्विटी का समावेश होता है, तो उससे बैंकों की पूंजी की गुणवत्ता में सुधार होगा। आदर्श रूप में साझी इक्विटी में चुकता इक्विटी पूंजी, शेयर प्रीमियम सांविधिक आरक्षित निधियों, पूंजीगत आरक्षित निधियों, पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में लाभ एवं हानि लेखे में शेष राशि तथा किसी भी अन्य प्रकटित निर्बंध आरक्षित निधियों का समावेश होना चाहिए।

बैंकिंग जगत की घटनाएं

भारतीय रिज़र्व बैंक रुपये के प्रतीक वाले 100 रुपये के नोट जारी करेगा

भारतीय रिज़र्व बैंक शीघ्र ही रुपये के प्रतीक वाले 100 रुपये के नोट जारी करेगा। जारी किए जाने वाले इन नोटों की डिजाइन रुपये के प्रतीक को छोड़ कर सभी दृष्टियों से इसके पूर्व जारी 2005 के महात्मा गांधी वाली श्रृंखला में 100 रुपये के नोटों जैसी ही होगी।

दर में कमी की संभावना क्षीण होने के कारण बॉण्ड के प्रतिफल में बढ़ोत्तरी

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दर में कमी की बाज़ार की प्रत्याशा के कमजोर पड़ने के परिणामस्वरूप सरकारी बॉण्ड का प्रतिफल उच्चतर हो गया। 10 वर्षीय न्यूनतम बॉण्ड प्रतिफल 8.19% से 3 आधार अंक अधिक 8.22% पर स्थिर हो गया। दिसम्बर माह के थोक मूल्य सूचकांक में गिरावट के बावजूद प्रतिफल में यह बढ़ोत्तरी हुई। विनिर्माण मुद्रास्फीति, जो खाद्य एवं ईंधन घटक के बिना प्रमुख मुद्रास्फीति है, अनम्य रूप से अधिक बनी रही। वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी ने विनिर्माण मुद्रास्फीति में सीमांत गिरावट पर चिंता व्यक्त की।

इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों में वृद्धि

अधिकाधिक लोगों द्वारा इंटरनेट बैंकिंग और कार्डों के पक्ष में चेकों और नकदी का त्याग किए जाने के परिणामस्वरूप इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों में तीव्र वृद्धि हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों में अन्य खातों में मुद्रा अंतरण; उपयोगिता बिलों, बीमा प्रीमियमों के भुगतान के मामले में सीधे नामे, लाभांशों के मामले में और डेबिट एवं क्रेडिट कार्डों के स्वाइपों के माध्यम से किए गए भुगतानों के मामले में आपके खाते में सीधे जमा शामिल होते हैं। बैंक ग्राहकों को इंटरनेट बैंकिंग अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हुए नेमी लेनदेनों को अपनी शाखाओं से दूर ले जाने के प्रयास करते रहे हैं। एटीएम भी मात्र एक नकदी वितरण करने वाली मशीन से आगे बढ़ कर एक ऐसा लघु-बैंक बन गया है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक भुगतान किए जा सकते हैं। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण के माध्यम से ऑनलाइन अंतरण में पिछले चार वर्षों से प्रत्येक वर्ष दोगुनी वृद्धि हो रही है। डेबिट कार्ड की वृद्धि ने पिछले चार वर्षों में 40% से अधिक की वृद्धि दर्ज करते हुए क्रेडिट कार्डों में हुई वृद्धि को पीछे छोड़ दिया है। हालांकि, बड़े आकार की खरीदियां करने के लिए क्रेडिट कार्ड अब भी लोकप्रिय बने हुए हैं।

यद्यपि स्वाइपों की संख्या में अंतर में कमी आ रही है, तथापि क्रेडिट कार्डों के माध्यम से खर्च की गई कुल रकम अब भी डेबिट कार्डों की तुलना में काफी अधिक है।

बैंकों के लिए लघु इकाइयों के ऋण आवेदनों की प्राप्ति अभिस्वीकृति देना उन्हें सुव्यवस्थित करना जरूरी

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के उधारकर्ताओं द्वारा या तो शारीरिक रूप से या फिर ऑनलाइन प्रस्तुत किए गए सभी ऋण आवेदनों की प्राप्ति अभिस्वीकृति अनिवार्य रूप से देने के लिए कहा है। यह निर्देश उद्योग संघों / चैम्बरों से बैंकों के उनके आवेदनों की अभिस्वीकृति न देने के बारे में शिकायतों के अनुसरण में दिया गया है। बैंकों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि ऋण आवेदन पत्रों और उनके साथ ही अभिस्वीकृति रसीदों पर भी चालू क्रम संख्या रिकार्ड की जाए। इसके अलावा, बैंकों को ऋण आवेदनों के लिए एक केन्द्रीय पंजीकरण आरंभ करने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है। आवेदनों के ऑनलाइन प्रस्तुतन पर भी इसी प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा सकता है, जिससे ऑनलाइन पता लगाया जा सके। भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बात पर बल दिया है कि ऋण आवेदन पत्रों को इस प्रकार तैयार किया जाना होगा कि ऋण की स्वीकृति पर उधारकर्ता द्वारा निष्पादित किए जाने वाले सभी दस्तावेज उसके ही अंग हों। सूक्ष्म उद्यमों के मामले में 1 करोड़ रुपये तक के ऋणों के लिए क्षेत्रीय भाषा में मुद्रित सरलीकृत

आवेदन पत्र- व स्वीकृति पत्र लागू किए जाने चाहिए। बैंकों के लिए जनवरी 2012 के अंत तक इन निर्देशों के अनुपालन के सम्बन्ध में एक 'कृत कार्रवाई रिपोर्ट" प्रस्तुत करनी आवश्यक होगी।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के उधार से सम्बन्धित लक्ष्य चूके

सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सूचित किया है कि वह 31 मार्च तक अधिक पूंजी निषेचन करेगा, किन्तु उसने उनसे महज प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी को पूरा करने के लिए ग्रामीण मूलभूत सुविधा विकास निधि जैसी कम प्रतिफल देने वाली आस्तियों में निवेश करने से विरत रहने के लिए कहा है। भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदंडों के अनुसार बैंकों के समायोजित निवल बैंक ऋण का 40% प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिया जाना चाहिए, जिसमें से 18% कृषि को प्रत्यक्ष उधार के रूप में होना चाहिए। वर्ष 2010-11 में 26 में से 7 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधारों के लक्ष्य और 18 बैंक कृषि अग्रिमों के लिए निर्धारित लक्ष्य नहीं पूरा कर पाए थे। यद्यपि 2010-11 में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार में 18% की वृद्धि परिलक्षित हुई थी, किन्तु कृषि अग्रिमों में वह पिछले वर्ष के 23% की तुलना में घट कर 9% रह गई। सरकार ने भी बैंकों से आगामी महीनों में वे इन लक्ष्यों को कैसे प्राप्त करेंगे इस सम्बन्ध में एक विस्तृत योजना प्रस्तुत करने के लिए कहा है। पूंजी निषेचन सरकार को अपने बैंकों में 58% हित धारित करने में समर्थ बनाएगा तथा यह भी सुनिश्चित करेगा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पास 8% की टियर- I पूंजी मौजूद हो।

एटीएमों में नकदी अस्वीकरण प्रणाली समाप्त की जा सकती है

एटीएम मशीनों में नकदी अस्वीकरण शीघ्र ही स्मृति शेष हो सकती है। दुरूपयोग को रोकने के एक प्रयोग के अत्यधिक प्रभावी सिद्ध होने के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक सभी मशीनों से इस कार्यप्रणाली को हटाने के भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के प्रस्ताव से सहमत हो गया है। यह कार्रवाई कुछेक लोगों द्वारा उस एटीएम मशीन, जिसमे नकदी अस्वीकरण प्रणाली (अर्थात् एक विनिर्दिष्ट समय के भीतर न हटा लिए जाने पर नकदी मशीन द्वारा आत्मसात कर ली जाती है) में नोटों के कुछेक नगों को अटका कर और उसके बाद नकदी न प्राप्त न होने का दावा करते हुए बैंकिंग प्रणाली को धोखा देने का जबरन प्रयास किए जाने की पृष्ठभूमि में की गई है।

बॉण्ड की वापसी खरीद से पहले प्रतिफल में मामूली सी कमी

सरकारी बॉण्ड के प्रतिफल थोड़े कमतर स्तर पर आ गए हैं, क्योंकि व्यापारियों ने इस आशा में खरीदा था कि नीतिगत ब्याज दरों में तात्कालिक रूप से कमी न किए जाने के बावजूद भारतीय रिज़र्व बैंक मार्च तक ऋणों की वापसी खरीद जारी रखेगा। 10 वर्षीय बॉण्डों के न्यूनतम प्रतिफल 2 आधार अंक की कमतर दर पर 8.17% पर बंद हुए। प्रतिफल में दिन के अधिकांश में थोड़े परिवर्तन हुए, क्योंकि व्यापारी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ऋण की वापसी खरीद और सरकारी बॉण्डों की नीलामी से पहले प्रतिबद्ध होने के प्रति उदासीन थे। भारतीय रिज़र्व बैंक 1,200 करोड़ रुपये मूल्य वाले 8.07% 2017, 7.90% 2021, 8.08% 2022 और 8.28% 2032 बॉण्डों की वापसी खरीद करेगा। सरकार 4,000 करोड़ रुपये के 7.83% 2018 बॉण्डों, 7,000 करोड़ रुपये के 8.79% 2021 बॉण्डों और 3,000 करोड़ रुपये के 8.83% 2041 बॉण्डों की नीलामी कर के 12,000 करोड़ रुपये जुटाना

चाहती है। डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक के सहयोगी उपाध्यक्ष श्री अनूप वर्मा का कहना है कि "आरक्षित नकदी निधि अनुपात में कमी न किए जाने के बावजूद नियमित वापसी खरीदियां हो सकती हैं।"

क्रेडिट कार्ड : भारतीय रिज़र्व बैंक ग्राहक की शून्य देयता के सम्बन्ध में उत्सुक

भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह संकेत दिया है कि वह एक ऐसी प्रणाली लागू करेगा जिसके तहत कोई क्रेडिट कार्ड धारक अपने कार्ड का उपयोग करते हुए किए गए कपटपूर्ण लेनदेनों के लिए उत्तरदायी न हो। भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री जी. परमेश्वरन ने यह विचार व्यक्त किया है कि यह देखते हुए कि अमेरिका जैसे देशों ने पहले से ही यह प्रणाली अपना रखी है, "शून्य दायित्व नीति" को कार्यान्वित करने का उचित समय यही है। हालांकि, भारत में यह दायित्व ग्राहकों का होता है। सामान्यतया जब तक ग्राहक अनधिकृत लेनदेनों की तत्काल सूचना नहीं देता, क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता कपटपूर्ण लेनदेनों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। अतएव उत्तरदायित्व के ग्राहक से हट कर बैंकों पर स्थानांतरण केवल ग्राहक द्वारा बैंक को सूचित किए जाने पर ही प्रभावी होता है। बैंक यह

तर्क देते हैं कि वे कार्ड के लेनदेनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त उपाय करते हैं तथा ग्राहकों से जिस सबसे कम चीज़ की अपेक्षा करते हैं, वह है कार्ड खो जाने की तत्काल सूचना देना।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में बढ़ते अशोध्य ऋणों पर भारतीय रिज़र्व बैंक चिंतित

बैंकों के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार संविभाग में बढ़ते अशोध्य ऋणों ने भारतीय रिज़र्व बैंक का ध्यान आकृष्ट किया है। इस संभावना ने कि कृषि, सूक्ष्म एवं लघु उद्यम तथा आवास खण्डों के प्रति बैंकों के ऋण जोखिम (एक्सपोजर) दबावग्रस्त हो सकते हैं, भारतीय रिज़र्व बैंक को उनसे सम्बन्धित आंकड़े मंगवाने हेतु प्रेरित किया है। भारतीय रिज़र्व बैंक विशिष्ट रूप से बैंकों से लघु और सीमांत किसानों, सूक्ष्म और लघु उद्यमों, शिक्षा, आवास और अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों (विनिर्माण, सेवा, सूक्ष्म ऋण, निर्यात ऋण और कमजोर वर्गों) को उनके प्रत्यक्ष अग्रिमों के सम्बन्ध में अशोध्य ऋणों की स्थिति प्रकट करवाना चाहता है। वैश्विक और उसके साथ ही साथ घरेलू अर्थव्यवस्थाओं द्वारा मंदी का सामना किए जाने के परिणामस्वरूप सूक्ष्म और लघु उद्यम श्रेणी के उधारकर्ता प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं, क्योंकि उनके मालों और सेवाओं की मांग में उनके बड़े विक्रेताओं से उनकी प्राप्य राशियों की वसूली में देरी का सामना किए जाने के बावजूद भी कमी आ गई है। इन सभी कारकों ने उन्हें ऋण की चुकौती के मोर्चे पर पिछड़ जाने पर विवश कर दिया है। इस वित्तीय वर्ष में अब तक बैंकों के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार संविभाग में सीमांत रूप से वृद्धि हुई है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार संविभाग मार्च 2011 के अंत में 12,39,386 करोड़ रुपये की तुलना में 18 नवम्बर 2011 के दिन 12,53,947 करोड़ रुपये का था।

बैंकों द्वारा जोखिम विरुचि के कारण ऋण मंद हुए

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी "स्थूल आर्थिक एवं मौद्रिक घटनाओं की तीसरी तिमाही की समीक्षा 2011-12" में कहा है कि आर्थिक गतिविधि में समग्र मंदी, बैंकों द्वारा जोखिम विरुचि और अब तक की गई मौद्रिक नीति से सम्बन्धित कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप ऋण वृद्धि में सामान्य कमी आई है। 31 दिसम्बर, 2011 को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से बकाया ऋण प्रवाह 43,65।600 करोड़, - एक

वर्ष पहले की अवधि वाले स्तर से 16% अधिक रहा। इसकी तुलना में दिसम्बर 2010 में ऋण में वर्षानुवर्ष वृद्धि 24% थी। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की ऋण वृद्धि में गिरावट विशेष रूप से तीव्र रही। यह बैंकों मे बढ़ती विरुचि का निरूपण करती है, जिसके परिणामस्वरूप भारी सरकारी उधारों की पृष्ठभूमि में जोखिम-रहित सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के रूप में पोर्टफोलियो मे बदलाव आ रहा है। हालांकि, निजी क्षेत्र के बैंकों, जिन्होंने संकट के पश्चात् वाली अवधि में सुदृढ़ ऋण वृद्धि दर्ज की थी, में हाल के दिनों में सुधार की प्रवृत्ति परिलक्षित हुई।

बासेल- III मानदंड बैंकों की ऋण वृद्धि को प्रभावित कर सकते हैं

जहां बासेल-III मानदंडों का कार्यान्वयन देश के बैंकों के पूंजी आधार को बढ़ाने में सहायक होगा, वहीं कुछेक ऋणदाताओं की ऋण-वृद्धि प्रभावित हो सकती है। बासेल-III मानकों को ककार्यान्वित करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा तैयार किए गए कठोर मानदंड जोखिम-समायोजित मानदंडों के मामले में भारत और उसके एशियाई समकक्षों के बीच अंतर को मिटाएगा। किन्तु यह निरंतर पूंजी वृद्धि की एक चुनौती भी प्रस्तुत करेगा। दिशानिर्देशों के मसौदे से कुछेक बैंकों की ऋण-वृद्धि नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकती है। किन्तु कुल मिलाकर इन दिशानिर्देशों को कार्यान्वित किए जाने पर भारतीय बैंकों की एकल आधार वाली ऋण प्रोफाइलों को लाभ पहुंचेगा।

बैंकिंग प्रणाली को सुदृढ़ कार्यबल की दरकार

वित्त मत्री श्री प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि "भारतीय बैंकिंग प्रणाली को अपनी वास्तविक संभाव्यता का दोहन करने के लिए एक सुदृढ़ कार्यबल की जरूरत है। भर्ती, प्रशिक्षण, निगरानी, उत्तरदायित्वों को सौंपने तथा बैंक कर्मचारियों को पुरस्कृत करने में निदर्शनात्मक बदलाव की जरूरत है। आज भारतीय बैंकिंग के पास अर्थव्यवस्था और समाज में भारी परिवर्तन लाने के लिए आवश्यक शक्ति, विश्वास एवं गति मौजूद है, बशर्ते उसे एक समर्पित प्रबन्धन के नेतृत्व में प्रतिबद्ध कार्यबल प्राप्त हो जाए।"

विनियामकों के कथन

भारतीय रिज़र्व बैंक चलनिधि की स्थिति से संतुष्ट

भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर डॉ. के.सी. चक्रवर्ती ने कहा है कि शीर्ष बैंक चलनिधि की विद्यमान स्थिति से संतुष्ट है। मार्च 2010 से लगातार 13 बार प्रमुख नीतिगत दरें बढ़ाने के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक ने पिछले माह अपने दृष्टिकोण में नरमी बरती और नीतिगत दरें बढ़ाने का क्रम रोक दिया, क्योंकि मुद्रास्फीति में कमी आनी शुरू हो गई। वैश्विक आर्थिक परिदृश्य के सम्बन्ध में उन्होंने कहा कि गरीबों द्वारा उधार लिये जाने को सुगम बनाने के लिए पूंजी की लागत और समृद्ध लोगों की बचतों का वित्तीय स्थिरता के लिए उपयुक्त विधि से उपयोग किया जाना चाहिए। वे इसके आगे भी कहते हैं कि "हम उभरने वाले जोखिमों के प्रति सजग और लचीले हो सकते हैं। भारत में पूंजी पर्याप्तता, अनर्जक आस्तियों और आस्तियों पर प्रतिलाभ के आधार पर समय-पूर्व अंतराक्षेपण की प्रणाली काफी लम्बे समय से मौजूद रही है।"

ब्याज दरें शिखराकार हो सकती हैं: मुद्रास्फीति एक कारक

भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर डॉ. सुबीर गोकर्ण का कहना है कि भारत में ब्याज दरें शिखराकार हो गई लगती हैं, किन्तु निकट-समय में दर में कटौतियां मुद्रास्फीति के स्तर पर निर्भर करेंगी। वे यह

भी कहते हैं कि "अर्थव्यवस्था की धीमी पड़ती वृद्धि वर्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक मुद्रास्फीति में कमी लाने में सहायक होगी। वृद्धि की गति में सुधार हो रहा है और हमें आशा है कि यह मुद्रास्फीति की कमतर गति में रूपांतरित होगी। दर चक्र में विपर्यय की प्रवृत्ति आरंभ हो जाने पर हम चलनिधि को बढ़ाने के लिए आरक्षित नकदी निधि अनुपात जैसे उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं। किन्तु तब तक खुले बाज़ार के परिचालन (OMO) उसी प्रकार का एक तकनीकी उपकरण उपलब्ध कराते हैं, जिसके द्वारा हम मुद्रा बाज़ार में दबाव में कमी लाने हेतु मौद्रिक नीति सम्बन्धी दृष्टिकोण में अत्यधिक सुस्पष्ट परिवर्तन का संकेत दिए बिना चलनिधि बढ़ा सकते हैं। "

राजकोषीय समेकन के बिना मुद्रास्फति को नियंत्रित करना कठिन

भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. डी. सुब्बाराव ने कहा है कि राजकोषीय समेकन के सम्बन्ध में सरकार की ओर से एक विश्वसनीय योजना और एक सुस्पष्ट रणनीति की आवश्यकता है, क्योंकि राजकोषीय समेकन के अभाव में मुद्रास्फीति का प्रबन्धन चुनौतीपूर्ण हो जाता है। डा. सुब्बाराव ने इस बात का उल्लेख किया है कि "राजकोषीय घाटे से मांग के दबाव अधिक हैं।" हमें (भारतीय रिज़र्व बैंक को) गैर-विवेकपूर्ण व्ययों की तुलना में सरकार को उपलब्ध सीमित विकल्पों की जानकारी थी, किन्तु व्यय पर ध्यान केन्द्रित रखना आवश्यक था। अब भारतीय रिज़र्व बैंक शीघ्र ही बैंकों को उनके ग्राहकों के विदेशी मुद्रा एक्सपोजरों के सम्बन्ध में निदेशक मण्डल द्वारा निर्धारित नीतियां बनाए जाने के लिए दिशानिर्देश जारी करेगा। हम अनर्जक आस्तियों पर बैंकों से चर्चा करेंगे तथा बैंकों की लाभप्रदता एवं अर्थक्षमता को अक्षुण्ण बनाए रखने के उपाय तैयार करेंगे।

रुपया नियंत्रित, खुले बाज़ार के परिचालन जारी रहेंगे

भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर डॉ. सुबीर गोकर्ण ने कहा है कि भारतीय रिज़र्व बैंक निकट भविष्य में अपने किसी भी मुद्रा -बचत उपाय को वापस नहीं लेगा, क्योंकि हाल की रुपये में मूल्यवृद्धि अस्थायी स्वरूप वाली हो सकती है। वह चलनिधि के दबावों को कम करने के लिए खुले बाज़ार के परिचालन (OMOs) भी जारी रखेगा। "यह राहत की बात है कि मुद्रा में कुछ स्थिरता वापस आ गई है। किन्तु उक्त मूल्यवृद्धि अपने आप में कुछेक पूंजी प्रवाहों का परिणाम रही है। जोखिम अब भी मौजूद हैं और हम इन उपायों को समय-पूर्व वापस नहीं लेना चाहते।" भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पिछली बार 1997 में एशियाई संकट के दौरान लागू किए गए नियंत्रणों जैसे ही नियंत्रण लागू किए जाने के बाद रुपये में उसके जीवन काल के सर्वाधिक कम स्तर 54.30 के मुकाबले 7.7% की मूल्यवृद्धि हुई है। हालांकि, भारतीय रिज़र्व बैंक के हस्तक्षेप ने भी प्रणाली से चलनिधि को साइफन कर दिया।

गिरती खाद्य कीमतें मौद्रिक नीति को प्रभावित करेंगी

भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर डॉ. सुबीर गोकर्ण ने कहा है कि "एक घटना के रूप में खाद्य मुद्रास्फीति एक ऐसी चीज है जिसे मुद्रास्फीति का स्थिर स्रोत माना जाना चाहिए। खाद्य से सम्बन्धित मुद्रास्फीति की भूमिका अनिवार्य रूप से प्रत्याशाओं पर आधारित होती है। मौद्रिक नीति की कार्रवाइयों और खाद्य कीमतों के बीच आपस में कोई सीधा सम्बन्ध नहीं होता। तथापि आवश्यक खाद्य मदों की कीमतें अर्थव्यवस्था में स्फीतिकारी प्रत्याशाओं को प्रभावित नहीं करतीं। बढ़ती समृद्धि महत्वपूर्ण रूप से मांग को बढ़ा रही है और इस तथ्य कि मुद्रास्फीति अथवा कीमतों में तेजी से वृद्धि हो रही है, से यह पता चलता है कि आपूर्ति की अनुक्रिया अपेक्षाकृत कमजोर है। "

भारतीय रिज़र्व बैंक बासेल-III के सम्बन्ध में बैंकों से प्रति-सूचना मंगवाएगा

भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री आनंद सिन्हा ने कहा है कि भारतीय रिज़र्व बैंक देश में बासेल-III के कार्यान्वयन के वास्तविक कार्यक्रम और श्रेणी के बारे में निर्णय लेने से पहले कतिपय बैंकों से पूंजी की आवश्यकताओं के सम्बन्ध में प्रति-सूचना मंगवाएगा। "निजी क्षेत्र के अनुमान कुछेक लाख करोड़ (रुपयों) में हैं। बासेल-III मानदंडों के अधीन बैंकों के पास यह सुनिश्चित करने के लिए कि लेनदेन सहज बने रहें पूंजी आवश्यकताओं की बढ़ी हुई गुणवत्ता और मात्रा का होना आवश्यक है।" इसके अतिरिक्त वे यह चेतावनी देते हैं कि "उभरते बाज़ार वाली अर्थव्यवस्थाओं (EMEs) की सरकारों को बासेल-III की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अधिक अतिरिक्त इक्विटी पूंजी का अंशदान करना होगा। इससे राजकोषीय स्थिति प्रभावित हो सकती है और कुछेक मामलों में उनके द्वारा राजकोषीय प्रबन्धन कार्यक्रम के तहत पहले से निर्धारित राजकोषीय समषदारी के लक्ष्यों की प्राप्ति विलंबित हो सकती है। उपयुक्त संमिश्र के बारे में निर्णय लेने हेतु मौद्रिक नीति और स्थूल विवेकसम्मत प्राधिकारियों के बीच गहन समन्वय की आवश्यकता होगी। मौद्रिक एवं स्थूल विवेकसम्मत नीतियों के बीच अन्तर्द्वंद्व का प्रबन्धन करने के लिए केन्द्रीय बैंक बेहतर स्थिति में हैं। "

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियां 1.01 बिलियन डालर घट कर 292.5 बिलियन डालर हुईं

देश की विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियां 1.01 बिलियन अमरीकी डालर घट कर 292.5 बिलियन अमरीकी डालर रह गईं, जो हाल के दिनों की लगातार छठी गिरावट है। 13 जनवरी को समाप्त सप्ताह में प्रारक्षित निधियों में 3.15 बिलियन अमरीकी डालर की भारी गिरावट आई और वे घट कर 293.5 बिलियन अमरीकी डालर रह गईं। फरवरी से प्रारक्षित निधियां पहली बार घट कर 300 बिलियन अमरीकी डालर से कम हुईं, जिससे वे 15 माह के न्यून स्तर पर पहुंच गईं।

फरवरी 2012 माह की विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) / अनिवासी विदेशी जमाराशियों की न्यूनतम दरें

जनवरी 2012 माह की विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) / अनिवासी विदेशी जमाराशियों की न्यूनतम दरें

अनिवासी विदेशी जमाराशियों की लिबोर / अदला-बदली (swap) दरें					
मुद्रा	लिबोर	अदला-बदली (swap)			
	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष		
अमरीकी डालर	1.09570	0.533	0.621		

विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों लिबोर / अदला-बदली दरें

	लिबोर	अदला-बदली			
मुद्रा	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष
अमरीकी डालर	1.09570	0.533	0.621	0.808	1.053
जीबीपी	1.89331	1.2370	1.2620	1.3769	1.4980
यूरो	1.72857	1.174	1.248	1.409	1.602
जापानी येन	0.55429	0.368	0.384	0.415	0.469
कनाडाई डालर	1.87200	1.193	1.249	1.358	1.500
आस्ट्रेलियाई डालर	4.88400	3.835	3.878	4.120	4.245
स्विस फ्रैंक	0.34117	0.123	0.168	0.318	0.473
डैनिश क्रोन	1.58000	1.1295	1.2060	1.3805	1.5790
न्यूजीलैंड डालर	3.51000	2.775	2.945	3.158	3.370
स्वीडिश क्रोनर	2.89200	1.865	1.860	1.891	2.002

स्रोत : भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (FEDAI)

विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधियां

मद	**20 जनवरी 2012 के दिन**	**20 जनवरी 2012 के दिन**
	करोड़ रुपये	मिलियन अमरीकी डालर
कुल प्रारक्षित निधियां	14, 837, 9	293,256.7
क) विदेशी मुद्रा आस्तियां	13, 060. 9.	259, 505.5
ख) सोना	1, 418, 1	26, 620.3
ग) विशेष आहरण अधिकार	2 22, 8	4, 426.4
घ) अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधि की स्थिति	136.1	2, 704.5

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक

बीमा

सामान्य बीमाकर्ताओं को इर्डा से राहत

सामान्य बीमाकर्ताओं की मांग को स्वीकार करते हुए बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण ( ) उनके कर्मचारियों को बोनस और लाभांश का भुगतान करने में समर्थ बनाने के लिए शोधक्षमता अनुपात की न्यूनतम सीमा को 150% से घटा कर 135% करने पर सहमत हो गया है। इसके पूर्व बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण बीमाकर्ताओं को पोर्टफोलियो के सम्बन्ध में उच्चतर प्रावधानीकरण करने का तथा सामान्य बीमाकर्ताओं पर उनके शोधक्षमता अनुपात के 150% से कम होने पर किसी प्रकार का बोनस और लाभांश के भुगतान करने पर रोक लगाने का निर्देश दिया था। हालांकि, सामान्य बीमाकर्ताओं ने यह कहते हुए इसका प्रतिरोध किया था कि इससे मौजूदा और उनके साथ ही नये प्रवर्तक हतोत्साहित होंगे, क्योंकि बोनस और कार्य-निष्पादन सम्बन्धी प्रोत्साहनों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाने से उद्योग में प्रतिभा आकर्षण में भारी कमी आ जाएगी।

नयी नियुक्तियां

- श्री नरेन्द्र सिंह को बैंक ऑफ महाराष्ट्र (BoM) का अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक नियुक्त किया गया है।
- श्री ए.डी.एम. चावाली ने इंडियन ओवरसीज बैंक में कार्यपालक निदेशक के रूप में सेवारंभ कर दिया है।
- श्री मदन मोहन को रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड में एशिया-प्रशांत के लिए अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है।

उत्पाद एवं गंठजोड़

संगठन	जिस संगठन के साथ गंठजोड़ हुआ	उद्देश्य
औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड	आईडीबीआई बैंक	मूलभूत सुविधा ऋण निधि (IDF) आरंभ करना।
येस बैंक	इंडिया बुल्स	बैंक के ग्राहकों को प्रीमियम सिक्योरिटीज और पूंजी बाज़ार सेवाएं और इंडिया बुल्स सिक्योरिटीज को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना, जिसे इक्विटी शेयरों का ऑनलाइन, ऑफलाइन व्यापार करने के बहुविध विकल्प प्राप्त होंगे।

भारतीय स्टेट बैंक	महिन्द्रा रेवा	वाहन वित्तीयन
यूको बैंक	एनसीएमएसएल	उद्योगों, व्यापारियों, किसानों की कटाई-पूर्व से लेकर विपण और निर्या स्तरों तक के सभी स्तरों पर उनकी पूंजी आवश्यकताओं के वित्तीयन में सहायता करने हेतु संपार्श्विक प्रबन्धन और गोदाम सेवाओं के लिए
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक	इंडियन ओवरसीज बैंक	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को विकास पूंजी प्रदान करने हेतु।

अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (क्रमश :)

अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक के प्रभावी बैंक पर्यवेक्षण के मुख्य सिद्धांतों के सारांश प्रस्तुत करने के अपने प्रयासों को जारी रखते हुए हम अपने पाठकों को कुछ और जानकारी प्रदान कर रहे हैं :

1. वैयक्तिक मुख्य सिद्धांतों, विशेषत: ऐसे क्षेत्रों में जो पर्यवेक्षी प्रथाओं और जोखिम प्रबन्धन को सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक हैं, महत्वपूर्ण वृद्धियां लागू की गई हैं। इसके फलस्वरूप अनिवार्य मानदंडों में विविध प्रकार के अतिरिक्त मानदंडों का कोटि-उन्नयन कर दिया गया है, जबकि अन्य दृष्टांतों में नये मूल्यांकन मानदंड की जरूरत थी। जोखिम प्रबन्धन से सम्बन्धित कई एक महत्वपूर्ण कमजोरियों तथा संकट के समय सामने आई अन्य सुभेद्यताओं का निवारण करने हेतु इन पर गंभीरतापूर्वक ध्यान दिया गया था। इसके अलावा, समीक्षा में पिछले कुछेक वर्षों में बाज़ार के विक्षोभों के दौरान प्रकट हुई कतिपय प्रमुख प्रवृत्तियों और घटनाओं, सर्वांगी महत्वपूर्ण बैंकों से प्रभावी रूप से निपटने हेतु अधिकाधिक गहनता और संसाधनों की आवश्यकता, प्रणाली जोखिम की पहचान करने, उसका विश्लेषण करने और उसका निवारण करने के लिए ऐकांतिक कार्रवाई करने में सहायता करने हेतु बैंकों का सूक्ष्म विवेकसम्मत पर्यवेक्षण करने में एक प्रणाली-व्यापक, स्थूल दृष्टिकोण लागू करने के महत्व तथा बैंक की विफलता की संभाव्यता और प्रभाव, दोनों ही को कम करने में प्रभावी संकट प्रबन्धन, पुनरुत्थान, निवारण उपायों पर अधिकाधिक संकेन्द्रण पर ध्यान दिया गया था। समिति ने इन उभरते मुद्दों पर उन्हें मुख्य सिद्धांतों में यथोचित रूप से अन्तर्निहित करते हुए तथा प्रत्येक प्रासंगिक सिद्धांत के अधीन विशिष्ट संदर्भों को समाविष्ट करते हुए उपयुक्त बल दिए जाने का प्रयास किया था।
2. इसके अलावा, सुदृढ़ कारपोरेट अभिशासन में प्रभावी जोखिम प्रबन्धन और अलग-अलग बैंकों एवं बैंकिंग प्रणाली में जनता के विश्वास को मजबूत आधार प्रदान करता है। बैंकों कारपोरेट अभिशासन में उन मूलभूत कमियों को ्यान में रखते हुए जो पिछले संकट के दौरान सामने आई थीं, इस समीक्षा में मूल्यांकन की कार्यप्रणाली में मौजूद कारपोरेट अभिशासन के मानदंडों के

साथ कारपोरेट अभिशासन में नये या मुख्य सिद्धांत जोड़ा गया और सुदृढ़ कारपोरेट अभिशासन प्रथाओं पर महत्तर बल दिया गया । इसीप्रकार समिति ने एक मौजूदा मुख्य सिद्धांत को क्रमश: महत्तर सार्वजनिक प्रकटन और पारदर्शिता तथा वर्धित वित्तीय रिपोर्टिंग और बाहरी लेखा-परीक्षा को समर्पित दो नये सिद्धांतों में विस्तीर्ण करते हुए एक सुरक्षित एवं सुदृढ़ बैंकिंग प्रणाली को बढ़ावा देने में सुदृढ़ बाज़ार अनुशासन की मुख्य भूमिका को दोहराया था।
स्रोत : अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक

वित्तीय क्षेत्र की मूलभूत जानकारी

अवमूल (Subprime) क्रेडिट कार्ड

अवमानक साख गणना अथवा सीमित ऋण इतिवृत्त वाले लोगों को जारी किए गए क्रेडिट कार्ड का एक प्रकार। ये कार्ड विशिष्ट रूप से श्रेष्ठ उधारकर्ताओं को प्रदत्त क्रेडिट कार्डों की अपेक्षा काफी अधिक ब्याज दर वाले होंगे; वे अतिरिक्त शुल्क और कमतर ऋण सीमाओं वाले भी होते हैं। अवमूल क्रेडिट कार्ड ऐसे बड़े जारीकर्ताओं और अपेक्षाकृत छोटी वित्तीय संस्थाओं, दोनों ही द्वारा जारी किए जाते हैं, जो केवल अवमूल उधार देने पर ही ध्यान केन्द्रित रखती हैं।

शब्दावली

उभारते बाज़ार वाली अथव्यवस्थाएं

किसी राष्ट की ऐसी अर्थव्यवस्था जो स्थानीय ऋण एवं इक्विटी बाज़ारों में कुछ न कुछ चलनिधि और किसी न किसी प्रकार के बाज़ार विनिमयन और विनियामक निकाय की मौजूदगी द्वारा यथा-प्रदर्शित रूप में उन्नत बनने की दिशा में आगे बढ़ रही हो। उभरते बाज़ारों में सामान्यतया बाज़ार की कार्य-कुशलता का स्तर और लेखांकन में कठोर मानक नहीं होते तथा प्रतिभूतियों का विनियमन उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के समरूप नहीं होता, किन्तु उभरते बाज़ारों के पास विशिष्ट रूप से बैंकों, शेयर बाज़ार और एकीकृत मुद्रा सहित भौतिक वित्तीय आधारभूत सुविधा मौजूद होती है।

संस्थान की गतिविधियां

लीडरशिप सेंटर, आईआईबीएफ, कुर्ला में प्रशिक्षण गतिविधियां

प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम

संस्थान ने 23 से 28 जनवरी 2012 तक एक 6 दिवसीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम (TTP) आयोजित किया था। उक्त कार्यक्रम में 23 प्रशिक्षकों ने सहभागिता की।

भारत के समाचार पत्र पंजीकार (रजिस्ट्रार) के पास संख्या : 69228 / 98 के अधीन
पंजीकृत पंजीकरण संख्या : एमएच / एमआर / दक्षिण -42 / 2010 -12

- मुंबई पत्रिका चैनल छंटाई कार्यालय मुंबई - 1 पर प्रत्येक महीने की 25वीं और 28वीं तारीख को प्रेषित करें।

टॉपसिम - सर्वव्यापी बैंकिंग :

संस्थान ने टॉपसिम - सर्वव्यापी बैंकिंग पर टाटा इंटरऐक्टिव सर्विसेज के सहयोग से 27 और 28 फरवरी 2012 को एक द्वि-दिवसीय कार्यक्रम की घोषणा की है। विस्तृत जानकारी के लिए www.iibf.org.in. देखें।

संस्थान समाचार

आईआईबीएफ की परीक्षाओं के लिए अतिरिक्त अध्ययन सामग्री

संस्थान ने विविध परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्रों से संग्रहीत अतिरिक्त अध्ययन सामग्री अपने पोर्टल पर डाल रखी है। विस्तृत जानकारी के लिए www.iibf.org.in. देखें।

नयी पहलकदमी : संस्थान अपने सभी सदस्यों से संस्थानन के रिकार्डों में ई-मेल आईडी को अद्यतन करने का अनुरोध करता है, क्योंकि 31 मार्च 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष से वार्षिक रिपोर्ट केवल ई-मेल के माध्यम से ही भेजी जाएगी।

बाज़ार की खबरें

भारित औसत मांग दरें

9.50
9.30
9.10
8.90
8.70
8.50

8.30

02/01/12 05/01/12 07/01/12 12/01/12 16/01/12 17/01/12 18/01/12
20/01/12 21/01/12 23/01/12 24/01/12 27/01/12

स्त्रोत : भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड न्यूज़लेटर, जनवरी , 2012

- मांग मुद्रा की दरें कठिन चलनिधि स्थिति का संकेत करते हुए कठोर बनी रही।
-अधिकांश समय तक 9% से अधिक के स्तर पर रही।
-मुद्रा बाज़ार दैनिक आधार पर 1.5 लाख करोड़ रुपये की सीमा तक की चलनिधि की कमी से जूझते रहे और मांग दरों में महत्वपूर्ण रूप से कमी नहीं हो सकती तथा एक निजी बैंक के खज़ाना प्रमुख के अनुसार हमें इन दरों के 9% पर कठोर बने रहने की उम्मीद करनी चाहिए।

भारतीय रिज़र्व बैंक की संदर्भ दरें

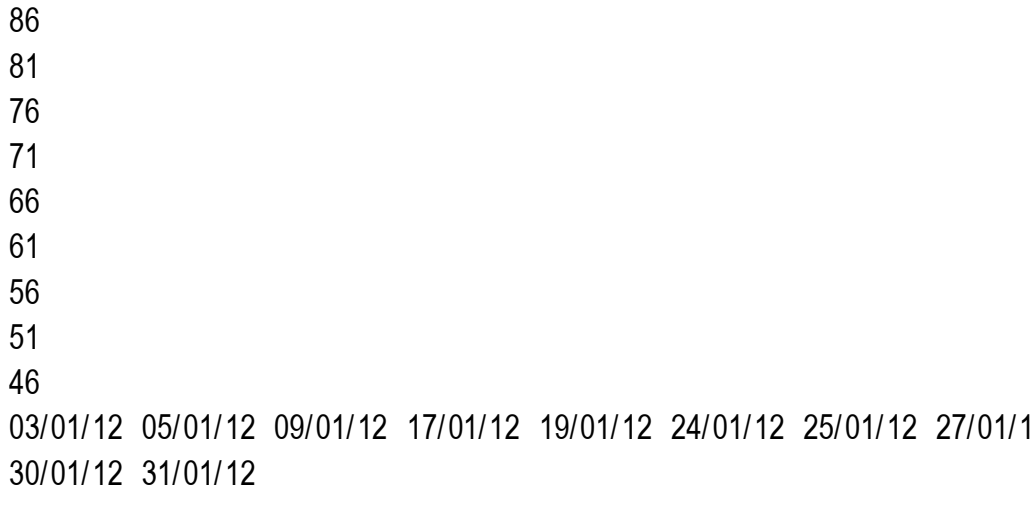

स्त्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

- 3 जनवरी को डालर के मुकाबले रुपया 53.30/31 पर स्थिर हो गया, जो 30वीं को 53.08/09 पर बंद भाव से 0.4% कम रहा। आयातकमांग पर रुपया लुढ़का।
- 6ठी को डालर के मुकाबले रुपया 52.7150/7250 पर बंद हुआ, जो 5वीं को 52.98/99 पर बंद भाव से 0.5% अधिक था, क्योंकि विदेशी निवेशकों ने स्थानीय ऋण खरीद लिये।
- सप्ताह के दौरान डालर -रुपये की श्रेणी 51.80 और 53.50 के बीच होनी चाहिए, क्योंकि मेकलाई के एक विश्लेषण के अनुसार सभी व-द्वियों पर राष्ट्रीयकृत बैंक (भारतीय रिज़र्व बैंक के आदेश पर) रुपये को समर्थन प्रदान करेंगे।

- डालरों की प्रचुर आवक के कारण 17वीं को रुपया 2 माह के उच्चतर स्तर पर बढ़ा। डालर के मुकाबले उक्त मुद्रा 1.2% बढ़ कर 50.70 पर बंद हुई। यह 2012 में 6% और 15 दिसम्बर को 54.30 के अपने जीवनकाल के सर्वाधिक न्यून स्तर के मुकाबले 6.6% की वृद्धि रही।
- 24वीं को नवम्बर से पहली बार डालर के मुकाबले 50 से अधिक की दर से बढ़ा, क्योंकि केन्द्रीय बैंक ने आर्थिक वृद्धि को समर्थन प्रदान करने के लिए 24वीं को उधार लेने की लागत को अपरिवर्तित रखा।
- कुल मिला कर माह के दौरान डालर (वैध अमरीी मुद्रा) के समक्ष रुपये में 6.77% की मूल्यवृद्धि हुई।
- यूरो (4.92%), पौण्ड (5.43%), जापानी येन (5.87%) जैसी अन्य मुद्राओं के मुकाबले रुपये में मूल्यवृद्धि की प्रवृत्ति जारी रही।

बम्बई शेयर बाज़ार सूचकांक

17500
17000
16500
16000
15500
15000

02/01/12 03/01/12 09/01/12 11/01/12 12/01/12 18/01/12 19/01/12 24/01/12
25/01/12 27/01/12 30/01/12 31/01/12

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

डॉ. आर. भास्करन द्वारा मुद्रित, डॉ. आर. भास्करन द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स की ओर से प्रकाशित तथा क्वालिटी प्रिंटर्स (I) , 6 - बी मोहता भवन, 3री मंजिल, डॉ. ई. मोज़ेस मार्ग, वर्ली, मुंबई - 400 018 में मुद्रित एवं इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स, कोहिनूर सिटी, कॉमर्सियल- II, टॉवर -1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई -400 070 से प्रकाशित।
संपादक : डॉ. आर. भास्करन

सेवा में
इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स
कोहिनूर सिटी, कॉमर्सियल- II, टॉवर -1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम)
मुंबई - 400 070

टेलीफोन : 91-22 2503 9604 / 9607 फैक्स : 91-22-2503 7332
तार : INSTIEXAM ई-मेल : iibgen@bom5 vsnl.net.in.
वेबसाइट : www.iibf.org.in.